पर नामांकित शिक्षार्थियों को निकटतम अध्ययन केन्द्र पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा बशर्ते उस केन्द्र पर जिन शिक्षार्थियों को स्थानान्तरित होना हो उसकी मान्यता विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत की गई हो अन्यथा की दशा में ऐसे केन्द्र जहाँ सम्बन्धित कार्यक्रम की मान्यता हो वहाँ स्थानान्तरित किया जायेगा। इसकी सूचना पत्र के माध्यम से शिक्षार्थियों को प्रेशित नहीं की जायेगी अपितु विश्वविद्यालय की वेबसाइट के सूचना लिंक से स्वयं प्राप्त करनी होगी। अध्ययन केन्द्र का चयन अभ्यर्थी द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी स्वयं प्रवेश फार्म में अपने केन्द्र का उल्लेख करेगा, अध्ययन केन्द्र कोड भी लिखेगा और उसी के अनुसार केन्द्र आबंटित किया जायगा। यदि किन्ही कारणों से याचित केन्द्र को आवंटित करना संभव नहीं हो पाता है तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह शिक्षार्थी के गृह जनपद के समीप का कोई अन्य केन्द्र, जहाँ पर शिक्षार्थी द्वारा चयनित कार्यक्रम की सुविधा उपलब्ध है, आबंटित कर दे। इस प्रकार कन्द्र आबंटन की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सुविधा का यथासम्भव ध्यान रखा जायेगा। केन्द्र के आबंटन की सूचना शिक्षार्थी को भी दी जाती है।

6.13.2 अध्ययन केन्द्र में परिवर्तन

शिक्षार्थी को केन्द्र चयन में सुविधा दी गयी है इसलिए शिक्षार्थी द्वारा चयनित केन्द्र में परिवर्तन की माँग सामान्यतया स्वीकार नहीं की जायेगी। अध्ययन केन्द्र में परिवर्तन विशेष परिस्थितियों यथा–स्थानान्तरण, चिकित्सीय कारण एवं छात्राओं के विवाह होने अथवा किसी तर्क संगत कारण होने पर ही विचारणीय होगा। **जुलाई सत्र** के शिक्षार्थियों के लिए अध्ययन केन्द्र परिवर्तन **30 अक्टूबर** एवं **जनवरी सत्र** के शिक्षार्थियों के लिए अध्ययन केन्द्र परिवर्तन **30 मार्च** तक ही अनुमन्य होंगे। अध्ययन केन्द्र परिवर्तन के लिए निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। **अध्ययन केन्द्र में परिवर्तन के लिए निर्धारित शुल्क रू. 1000/–** मात्र का ई–चालान (विश्वविद्यालय की प्रति) आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र के समन्वयक द्वारा अग्रसारित होने पर ही स्वीकार होगा। विशेष परिस्थिति में अध्ययन केन्द्र के परिवर्तन के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी बिना अग्रसारित आवेदन पत्र पर आदेश दे सकते हैं।

विशेष : नये स्थापित अध्ययन केन्द्रों पर द्वितीय/तृतीय वर्श में स्थानान्तरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

6.13.3 कार्यक्रम एवं विषय परिवर्तन (वैकल्पिक)

सामान्यतया, **जुलाई सत्र** के शिक्षार्थियों के लिए **30 अक्टूबर** एवं **जनवरी सत्र** के शिक्षार्थियों के लिए **30 मार्च** तक ही कार्यक्रम एवं विषय परिवर्तन हेतु आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद इन आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जयेगा। **कार्यक्रम परिवर्तन के लिए रू. 1000/– मात्र तथा विषय परिवर्तन (वैकल्पिक) के लिए रू0 500/–** मात्र का ई–चालान जो **'वित्त अधिकारी उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद' के नाम पर देय हो,** वही स्वीकार किया जायेगा। इसके साथ ही पूर्व में प्राप्त पाठ्य सामग्री को अध्ययन केन्द्र पर जमा करना होगा। पूर्व में प्राप्त पाठ्य–सामग्री को जमा करने का प्रमाण–पत्र केन्द्र समन्वयक द्वारा अग्रसारित होना चाहिए। अग्रसारित प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने की दशा में आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा।

6.14 शुल्क एवं शुल्क वापसी

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेशित छात्र विद्यापरिशद् द्वारा समय–समय पर अवधारित शुल्क अदा करेंगे। शुल्कों की अदायगी ऐसी तिथियों एवं पद्धति से की जायेगी जैसी समय–समय पर अधिसूचित की जाए।

सामान्यतया, विद्यार्थी द्वारा जमा शुल्क की धनराशि वापस नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम न चलाये जाने अथवा किसी अन्य कारण के अलावा आवेदन पत्र के साथ जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

6.15 क्रेडिट पद्धति– (1 क्रेडिट = 30 घण्टे)

विश्वविद्यालय के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट पद्धति अपनाई गई है। क्रेडिट का अर्थ है कि एक क्रेडिट के अध्ययन में लगभग 30 घण्टे का समय लगेगा जिसके अन्तर्गत पाठ्य सामग्री का स्व–अध्ययन मनन, ऑडियों तथा वीडियो सामग्री का प्रयोग, सम्पर्क एवं परामर्श सत्र एवं अधिन्यास कार्य सभी सम्मिलित हैं। यदि किसी शिक्षार्थी को 8 क्रेडिट का कोई पाठ्यक्रम पूरा करना है तो उसके लिए उसे ($8 \times 30 = 240$) 240 घण्टे का समय अध्ययन से सम्बन्धित गतिविधियों में देना चाहिए। विभिन्न कार्यक्रमों में क्रेडिट के निर्धारण की इस व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी को कितना परिश्रम अपने शैक्षिक कार्य को पूरा करने के लिए करना होगा, उसका आकलन शिक्षार्थी स्वयं कर सकता है। शिक्षार्थी को शैक्षिक कार्यक्रम के लिए निर्धारित क्रेडिट को पूरा करना होगा जिसमें उसक सैद्धान्तिक, प्रयोगात्मक एवं सत्रीय कार्य निहित हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसे सैद्धान्तिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा एवं सत्रीय कार्य में अलग–अलग उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

6.16 काउन्सिलिंग हेतु सामान्य मानक

1. सामान्य पाठ्यक्रमों/प्रश्नपत्रों के आठ क्रेडिट के कोर्स में 09 स 12, क्रेडिट के कोर्स में 06 से 09, चार क्रेडिट के कोर्स में 04 से 05 सम्पर्क कक्षाएँ (सत्र) आयोजित होगी।
2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें शिक्षार्थियों की संख्या 05 अथवा 05 से अधिक किन्तु 10 से कम हो, उनमें केवल 50 प्रतिशत काउन्सिलिंग कराने की व्यवस्था की जायेगी और यदि शिक्षार्थियों की संख्या 1 से 4 है तो 25 प्रतिशत परामर्श कक्षाएँ चलाई जायेंगी।